

प्रेस नोट दिनांक: 03.04.2021

इटावा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित 02 अभियुक्तों को अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा० श्री बृजेश सिंह के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते गैंगस्टर एक्ट के वांछित 02 अभियुक्तों को अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02/03.04.2021 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी है कि थाना बकेवर से मु०अ०स० 143/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त कहीं जाने की फिराक में काले रंग की मोटरसाईकिल से नहर पटरी पर गौतमपुरा की तरफ से लखना की ओर आ रहे है जिनके पास अवैध असलहा भी है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मुखबिर के बताए गए स्थान की ओर जा रही थी तभी झाल के पुल के पास काले रंग की मोटरसाईकिल पर सवार 02 व्यक्ति आते हुए दिखायी दिए जिन्हे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस टीम को देखकर अभियुक्तों द्वारा भागने का प्रयास किया। जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेरकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 02 अदद तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 30 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब व मोटरसाईकिल बरामद हुए। जिसके बारे में पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण कुछ भी बताने में असमर्थ रहे।

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम सलमान अली उर्फ मन्नु पुत्र अजीज अली निवासी ग्राम कोठी शेरपुर थाना बकेवर, व कमलेश कुमार दोहरे पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम इन्द्रौसी थाना बकेवर इटावा बताया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वह थाना बकेवर पर पंजीकृत अभि० मु०अ०स० 143/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त है गिरफ्तार दोनो अभियुक्त शातिर किस्म के अवैध शराब तस्कर भी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सलमान अली उर्फ मन्नु पुत्र अजीज अली निवासी ग्राम कोठी शेरपुर थाना बकेवर जनपद इटावा

2.कमलेश कुमार दोहरे पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम इन्द्रौसी थाना बकेवर जनपद इटावा

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0स0 146/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सलमान अली थाना बकेवर

2.मु0अ0स0 147/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कमलेश कुमार थाना बकेवर

3.मु0अ0स0 148/2021 धारा 60/72 आवकारी अधिनियम थाना बकेवर

बरामदगी-

1. 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3. 30 अदद क्वार्टर नाजायज देशी शराब

4. 01 अदद मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस न0 UP16BL00186

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.सलमान अली उर्फ मन्नु पुत्र अजीज अली निवासी ग्राम कोठी शेरपुर थाना बकेवर जनपद

1.मु0अ0सं0 199/2020 धारा 60(1) क/72 आवकारी अधि0 व 272 /420/467/468/471/120 B IPC थाना बकेवर जनपद इटावा ।

2.मु0अ0सं0 240/2020 धारा 4/25 A ACT थाना बकेवर इटावा ।

3.मु0अ0स0 242/2020 धारा 411/420 IPC थाना बकेवर इटावा ।

4.मु0अ0स0 222/2012 धारा 379/411 IPC थाना बकेवर इटावा ।

5.मु0अ0स0 078/2021 धारा 60 (क) /63 आवकारी अधि0 व 272 /420/467/468/471/120 B IPC थाना बकेवर जनपद इटावा ।

6.मु0अ0स0 143/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा

7.मु0अ0स0 146/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा

8.मु0अ0स0 148/2021 धारा 60/72 आवकारी अधिनियम थाना बकेवर जनपद इटावा

2.कमलेश दोहरे पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम इन्द्रौसी थाना बकेवर जनपद

- 1.मु0अ0स0 078/2021 धारा 60 (क) /63 आबकारी अधि0 व 272 /420/467/468/471/120 B IPC थाना बकेवर जनपद इटावा ।
 - 2.मु0अ0स0 149/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बकेवर जनपद इटावा ।
 - 3.मु0अ0स0 184/2018 धारा 147/452/323/504 IPC थान बकेवर जनपद इटावा ।
 - 4.मु0अ0स0 143/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा
 - 5.मु0अ0स0 147/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा
 - 6.मु0अ0स0 148/2021 धारा 60/72 आवकारी अधिनियम थाना बकेवर जनपद इटावा
- पुलिस टीम-** श्री जितेंद्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर, उपनिरीक्षक श्री सुरेश चंद्र थानाध्यक्ष लवेदी उ0नि0 श्री गंगादास गौतम, चिन्तन कौशिक,का0 दर्शन सिंह ,का0 रमन कुमार ,का0 अकिंत चौधरी ,का0 अरविन्द कुमार ,का0 अरुण कुमार का0 अवनीश कुमार, का0 ओमवीर सिंह

मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा